जिला रेड क्रास समिति, यमुनानगर की कार्याकारणी की बैठक दिनांक 24.02.2016 को प्रातः 10.00 बजे डॉ0 एस.एस.फुलिया, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रेड क्रास समिति, यमुनानगर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय, यमुनानगर में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्यवाही रिपोर्ट इस प्रकार है।

बैठक में निम्न सदस्य व अधिकारीगण उपस्थित हुए :—

क्र0सं0	नाम व पता
1	उपमण्डल अधिकारी (ना.), जगाधरी।
2	उपमण्डल अधिकारी (ना.), बिलासपुर।
3	सिविल सर्जन, यमुनानगर।
4	जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर।
5	जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी—कम, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर।
6	श्री राजेन्द्र गुप्ता, 178—ए, प्रोफेसर कालोनी, यमुनानगर ।
7	डा0 अनिल अग्रवाल, अग्रवाल हस्पताल, जगाधरी।
8	डा0 बी0एस0गाबा, गाबा हस्पताल, यमुनानगर।
9	श्री सुशील कुमार अग्रवाल, ओरीएन्टल प्लाईवुड इन्डि0, यमुनानगर।
10	श्री कमल काम्बोज, 1840, सैक्टर 17, हुडा, जगाधरी, जिला यमुनानगर।
11	श्री लाल सिंह पंजलासा, म.न. 97/6, शंकर नगर, ई0एस0आई0 हस्पताल के सामने, जगाधरी, जिला यमुनानगर।
12	श्री सतीश सलुजा, एम.डी., ओरीएन्टल इन्डस्ट्री, इन्डस्ट्रीयल एरीया, यमुनानगर।
13	श्री राज कपूर सूरा, सदस्य सचिव, जिला रैड क्रास समिति, यमुनानगर।

विशेष अतिथि

1 डॉ0 शालीन, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, यमुनानगर।

2 श्रीमती पूजा चांवरिया,एच.सी.एस., नगराधीश महोदया, यमुनानगर।

रेड क्रॉस कार्यकारिणी सदस्य जो इस बैठक मे उपस्थित नही हो सके :—

1 श्री संजीव कुमार अग्रवाल, म.न. 7, भारत कालोनी, लाल द्ववारा रोड, यमुनानगर।

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया व निर्णय लिया गयाः—

मद संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
1.	**दिनांक 12.08.2014 की बैठक की कार्यवाही का पुष्टिकरणः—** रेड क्रास कार्यकारिणी की बैठक जो दिनांक 12.08.2014 को सम्पन्न हुई थी, कि कार्यवाही रिपोर्ट सभी उपस्थित सदस्यगणों को पत्र संख्या आर.सी.वाई. /2014/1541—1551 दिनांक 28.10.2014 के माध्यम से भेज दी गई थी।	पुष्टि की गई।
2.	**दिनांक 12.08.2014 को सम्पन्न की गई रेड क्रॉस कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report):—** रिपोर्ट पताका ''क'' सलंग्न है।	अनुमोदित किया गया।
3.	**वर्ष 2014—15 के दौरान आय—व्यय (बैलेंशसीट का विवरण):—**	

	जिला रेड क्रॉस समिति यमुनानगर का वर्ष 2014–15 का ऑडिट एवं बैलेशसीट पताका ''ख'' पर सैंट जॉन एम्बूलैंस एसोसिएशन, यमुनानगर की वर्ष 2014–15 की बैलेंशसीट, पताका ''ग'' पर सलंग्न है जिसमें आय–व्यय, प्राप्ति एवं भुगतान एवं फिक्स असैटस विवरण अंकित है।	स्वीकृत किया गया।
4.	**<u>रेड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर तथा सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया)का वर्ष 2015–16 का प्रस्तावित बजट</u>** रेड क्रास सोसायटी, यमुनानगर का प्रस्तावित बजटः – पताका 'घ' सैंट जॉन एम्बुलैंस (इण्डिया),यमुनानगर का प्रस्तावित बजटः – पताका 'ड'	अनुमोदित किया गया।
5.	**<u>ऑडिटर निर्धारित करने बारेः–</u>** माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के आदेश दिनांक 22.04.2015 की अनुपालना में जिला रेड क्रॉस समिति यमुनानगर, सैंट जॉन एम्बूलैंस एसोसिएशन यमुनानगर तथा संस्था के अन्य प्रोजैक्ट शाखाओं का ऑडिट श्री एस.के.जिन्दल, चार्टिड एकाउंटैंट तथा मैसर्ज अंजली गोयल एंड कम्पनी, चार्टिड एकाउंटैंट को वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए स्वीकृत किया गया था। आगे वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 के ऑडिट के लिए मैसर्ज अंजली गोयल एंड कम्पनी, चार्टिड एकाउंटैंट को स्वीकृत किया जाना उचित होगा क्योंकि श्री एस.के.जिन्दल, चार्टिड एकाउंटैंट के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं होती जिससे संस्था के कार्य बाधित होते हैं।	अनुमोदित किया गया एवं अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह कार्य पूर्व दरों पर ही करवाया जाएगा।
6.	**<u>रैन बसेरा का प्रबन्धः–</u>** जिला रैड क्रास समिति, यमुनानगर द्वारा कड़कती ठण्ड से बचाव हेतु यात्रियों, फुटपाथ एवं खुले में सोने वालें व अन्य निराश्रितों की सुविधा के लिए माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के आदेशानुसार दिनांक 16.12.2015 को कांशीराम मक्खन लाल धर्मशाला, जमुना गली नजदीक रेलवे स्टेशन, यमुनानगर में एक रैन बसेरा कार्यक्रम चलाया गया। इस रैन बसेरा में 60 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा में रजाई, गददा व कम्बलों की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई है। इसी प्रकार एक रैन बसेरा शुल्भ शौचालय के उपर संत निरंकारी भवन यमुनानगर के सामने तथा एक रैन बसेरा जगाधरी बस स्टैण्ड शुल्भ शौचालय के उपर, जो नगर निगम यमुनानगर द्वारा निमार्ण किया हुआ है। उपरोक्त नगर निगम द्वारा निर्मित रैन बसेरे में भी माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के नेतृत्व एवं उनके दिशा निर्देश में जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर द्वारा देखा जा रहा है। रात्रि के समय जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर की एक टीम शहर यमुनानगर एवं जगाधरी का निरिक्षण करती है कि जो व्यक्ति फुटपाथ	सूचित एवं अनुमोदित किया गया।

	एवं खुले में सोया हुआ है वे उन्हें उपरोक्त रैन बसेरों में ठहराती है। इस कार्य में रेड क्रॉस का वाहन भी प्रयोग में लाया जाता है और सरकारी रैन बसेरे में महिलाओं के ठहरने का भी उचित प्रबंध किया हुआ है। माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के दिशा–निर्देशानुसार किए गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:– i) डॉ0 एस.एस.फुलिया, आई.ए.एस., उपायुक्त, यमुनानगर द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2016 को उपरोक्त तीनों रैन बसेरों का निरिक्षण किया गया और निरिक्षण के दौरान उन्होंने 31 गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किए तथा मौके पर सम्बन्धित सचिव रेड क्रॉस एवं अन्य कर्मचारियों को और अधिक अच्छे से रैन बसेरे के संचालन हेतु निर्देश भी दिए। ii) माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के आदेशानुसार सरकारी रैन बसेरा (जगाधरी बस स्टैण्ड शुल्भ शौचालय के उपर) तथा (संत निरंकारी भवन यमुनानगर के सामने शुल्भ शौचालय के उपर) में 10 फोल्डींग बैड तथा 10 गददे उपरोक्त दोनों रैन बसेरा में लगवाए गये। जहां जरूरतमंद व्यक्ति आराम से ठहर सके। उपरोक्त पर राशि रूपये 25,000/– जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर द्वारा खर्च की गई है। iii) तीनों रैन बसेरा में स्वच्छ पानी, बाथरूम, टायलेट एवं बिजली का विशेष प्रबधं है। iv) रेड क्रॉस की टीम रैन बसेरे के आरंभ से ही दिनांक 16 दिसम्बर 2015 से रात्रि के समय अपनी सेवाऐं दे रही है, यह सेवाऐं 15 फरवरी, 2016 तक जारी रहेंगी। v) 16 दिसम्बर 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक 394 जरूरतमंद व्यक्तियों ने उपरोक्त रैन बसेरा में रहकर लाभ उठाया है। vi) रेड क्रॉस की टीम यह भी निरिक्षण करती है कि यदि कोई फुटपाथ पर सोया हुआ चलने में असमर्थ है, बीमार है अथवा चोट खाए हुए हैं तो उसे सामान्य हस्पताल, यमुनानगर में 102 एम्बुलैंस बुलवाकर भेजा जाता है। vii) सचिव रेड क्रॉस द्वारा भी समय –समय पर रैन बसेरों का निरिक्षण करते हुए तथा खुले में सोए हुए लोगों से उनकी सुविधा अनुसार जरूरत पुरा करने के लिए पुछताछ की जाती है और सचिव के निर्देशा नुसार संस्था द्वारा एक कर्मचारी रात्रि को कांशीराम मक्खन लाल धर्मशाला में अपनी डियुटी देता है।	

7.	**मृत्यु उपरान्त शरीर दान :–** मृत्यु उपरांत शरीर दान का पुनित कार्यक्रम समाज सेवी श्री जे.के.धमीजा द्वारा आरंभ किया गया था इस पुनित कार्य में जिला रैड क्रॉस समिति, यमुनानगर (हस्पताल कल्याण केन्द्र) अपना पूरा सहयोग दान दे रही है। रेडक्रॉस एवं समाज सेवकों द्वारा समय–समय पर आम जनता को जागरूक किया जाता है कि वे मृत्यु उपरांत अपना शरीर अग्नि को समर्पित न करके पी0जी0आई0,एम0एस0 यु0टी0, चण्डीगढ़ को दान करने बारे अपनी सहमति लिखित रूप में दें। इस पुनित कार्य में 143 सज्जन पुरूष लिखित में अपनी सहमति दे चुके हैं तथा अपना–अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बनवा चुके हैं।	सूचित किया गया।
8.	**जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र द्वारा विकलांगजन को दी गई सेवाऐं तथा सम्पन्न किए गये कार्यक्रमः–** जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, यमुनानगर बस स्टैण्ड के नजदीक संचालित है। विकलांग केन्द्र द्वारा निःशक्तजनों के कल्याणार्थ अनेक कार्यक्रम प्रतिवर्ष सम्पन्न किए जाते हैं। निःशक्तजनों को उनकी आवश्यक्ता अनुसार कृत्रिम अंग, पोलियो कैलिपर, सहायक उपकरण, तिपहिया साईकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कानों की मशीन एंव अन्य उपकरण सरकार के नियमानुसार उपलब्ध करवाऐ जाते हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है :– **1अप्रैल 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक की गतिविधियों का विवरण** i) विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2015 जिला हिसार में रेड क्रॉस समिति, हिसार द्वारा आयोजित किया गया था। भारतीय रेड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ के दिशा निर्देशानुसार जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, यमुनानगर की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ii) दिनांक 14 जून 2015 को रेड क्रॉस भवन सैक्टर 17, हुडा जगाधरी में विश्व रक्तदाता दिवस आयोजित कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्य अतिथि श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक, यमुनानगर के शुभ कर कमलों से 25 निःशक्तजन को श्रवण यन्त्र उपलब्ध करवाए गये। iii) 14 जरूरतमंदों को तिपहिया साईकिल उपलब्ध करवाई गई। iv) 49 जरूरतमंद बधीरों को श्रवण यन्त्र उपलब्ध करवाए गये। v) 8 जरूरतमंद निःशक्तजन को बैशाखी उपलब्ध करवाई गई। vi) 39 रिपेयर एवं फालोअप करवाए गये। vii) एस0एस0ए0 कार्य के तहत 7.9.2015 से 18.09.2015 तक जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र पर जांच शिविर लगाया गया।	सूचित किया गया।

9.	**फिजियोथैरेपी केन्द्रः–** जिला रेड क्रास समिति, यमुनानगर द्वारा सामान्य हस्पताल, जगाधरी में फिजियोथैरेपी केन्द्र चलाया जा रहा है। इस फिजियोथेरेपी केन्द्र में अनुभवी फिजियोथैरेपिस्ट द्वारा रोगियों का ईलाज किया जाता है। इस फिजियोथैरेपी केन्द्र का लाभ ऐसे रोगी उठा रहे हैं जो जोड़ों का दर्द, गठिया–बाय, कन्धा, गदर्न व कमर के दर्द, अर्थराईटिस इत्यादि से पीड़ित हैं। वर्ष 2015–2016 के दौरान (1 अप्रैल से 31 दिसम्बर2015 तक) फिजियोथैरेपी केन्द्र में कुल 353 मरीजों का उपचार किया गया :– • वैक्स बाथ 25 • सरवाईकल टरैक्शन 94 • लैयुम्बर टरैक्शन 167 • व्यायाम 76 • अल्ट्रासोनिक रेज 16 • आई.आर.आर. 77 • एस.डब्ल्यू.डी. 233 **कुल 688**	सूचित किया गया।
10.	**रेडक्रास परिवार परामर्श केन्द्रः–** परिवार परामर्श केन्द्र जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, नजदीक बस स्टैण्ड,यमुनानगर के भवन में चलाया जा रहा है। केन्द्र में परिवारिक झगड़े निपटाए जाते हैं। इस केन्द्र पर विवादित दोनो पक्षों को इक्टठे करके उनमें समझौता करवाने के प्रयास किए जाते हैं। जिन विवादित केसों का केन्द्र में समाधान नही हो पाता, ऐसे केसों को कोर्ट में रैफर किया जाता है तथा जरूरतमंद पक्ष को मुफत कानूनी सहायता भी प्रदान करवाई जाती है और समय–समय पर विभिन्न सामाजिक कुरूतियों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, घरेलु हिंसा, दहेज निषेध व स्वच्छता इत्यादि विषयों के प्रति शिविरों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2015–16 में जिलें मे 27 महिला जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और केन्द्र पर निम्न केस निपटाऐ गयेः– • कुल पंजीकृत केस 119 • निपटाए गए केस 88 • लम्बित केस 31	सूचित किया गया।
11.	**बाल श्रम पुर्नवास केन्द्र :–** जिला रैडक्रॉस समिति, यमुनानगर द्वारा श्रम विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ के सहयोग से बालकुंज छछरौली में बाल श्रम पुर्नवास केन्द्र चलाया जा रहा है। इस केन्द्र में बाल श्रमिकों को पढाई के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण(कम्पयूटर	सूचित किया गया।

<table>
<tr><td></td><td>शिक्षा) भी दी जा रही है । इस केन्द्र का लाभ वे बाल श्रमिक उठा रहे हैं जो पहले बाल श्रम करते थे लेकिन अब बाल श्रम छोड़कर पढ़ना चाहते हैं। वर्ष 2015–2016(1 अप्रैल से 31 दिसम्बर,2015) के दौरान इस केन्द्र का लाभ 99 बाल श्रमिकों ने उठाया हैं।</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td><u>रेड क्रास परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु केन्द्रः–</u>
वर्ष 2015–2016 में (1 अप्रैल 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक) रेड क्रॉस परिवार कल्याण केन्द्र पर महिलाओं एवं बच्चों के ईलाज हेतु निम्न लाभांश जरूरतमंदों को दिया गया।
स्टै्लाईजेशन 48
कॉपर टी 73
इंजैक्शन पैंटा 880
पोलियो ड्राप्स 1204
इंजैक्शन बी.सी.जी 180
इंजैक्शन डी.टी 106
मिजल्स 543
टी.टी.(गर्भवती महिलाऐं) 319
टी.टी.फार गर्ल्ज 117
प्रसुती 140
ए0एन0सी0 रजिर्स्टड 214
डैथ 22
मलेरिया 211
एफ.एस.लार्ज सप्लाई 22790
नर्सिग मदर एफ.एस. सप्लाई 12532
ओ0पी0डी0 2519</td><td>सूचित किया गया।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>रक्तदान सेवाऐंः–
माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के दिशा–निर्देशानुसार जरूरतमंदों को रक्त की प्रतिपूर्ति करने के लिए जिला यमुनानगर में समय–समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है तथा अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए रक्तदानियों को जोड़ने हेतु जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में रक्तदान प्रेंरणा शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिला रेड क्रास समिति, यमुनानगर द्वारा वर्ष 2015–16 (1 अप्रैल 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक) के दौरान कुल 7641 युनिट बल्ड बैंक, ट्रॉमा सैंटर, सामान्य हस्पताल, यमुनानगर द्वारा एकत्रित किए गये हैं।</td><td>सूचित किया गया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>14.</td><td><u>प्राथमिक सहायता व होम नर्सिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम :–</u>
सैंट जॉन एम्बूलैंस एसोसिएशन जिला शाखा, यमुनानगर द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान (1 अप्रैल 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक) होम नर्सिंग एवं प्राथमिक सहायता में दिए गये प्रशिक्षण का विवरण निम्न प्रकार से हैः–
कुल प्रशिक्षण – 10654
प्राथमिक सहायता – 9917
होम नर्सिंग – 737</td><td>सूचित किया गया।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td><u>मुख्य मंत्री राहत कोष, चण्डीगढ़ से आवेदकों को ईलाज हेतु दिलवाई गई मदद का ब्यौरा :–</u>
जिला यमुनानगर में गरीब जरूरतमंद गंभीर रूप से बीमार हृदय रोगी, कैंसर पीड़ित एवं कीडनी की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र माननीय उपायुक्त एवं प्रधान के माध्यम से रेड क्रास संस्था में प्राप्त होते हैं। प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर जिला रेड क्रास हस्पताल कल्याण केन्द्र द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करवाने उपरांत केस माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु भिजवाऐ जाते हैं । वर्ष 2015–16 के दौरान निम्न केस सहायता हेतु भिजवाऐ गये थेः–
<u>प्रार्थी का नाम व पता</u> — <u>अदा की गई राशि</u>
• प्रार्थी श्री जय सिंह सपुत्र श्री हंसराज, निवासी गांव टोपरा खुर्द, डा0 हाफिजपुर, उप तहसील मुस्ताफाबाद, जिला यमुनानगर को उसके सपुत्र पारस के ब्लड कैंसर के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता देने बारे प्रस्ताव मुख्य मंत्री राहत कोष, चण्डीगढ़ को भेजा गया। — 60,000/–रूपये
• प्रार्थी श्री विजय कुमार सपुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी कुलदीप नगर, नजदीक गांधी नगर, रेलवे फाटक, यमुनानगर को उसके एक्सीडेंट में टुट चुकी टांग के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता देने बारे प्रस्ताव मुख्य मंत्री राहत कोष, चण्डीगढ़ को भेजा गया। — 35,000/–रूपये
• प्रार्थी श्री संजीव कुमार सपुत्र श्री सुन्दर लाल, गांव अम्बली, डा0 तलाकौर, उप तहसील मुस्ताफाबाद, जिला यमुनानगर के सपुत्र के ब्लड कैंसर के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता देने बारे प्रस्ताव मुख्य मंत्री राहत कोष, चण्डीगढ़ को — 60,000/–रूपये</td><td>सूचित किया गया।</td></tr>
</table>

	भेजा गया। • प्रार्थीया श्रीमती नफीसा पत्नी श्री जाहिर हुसैन, निवासी गांव मण्डौली, डा0 कलानौर, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर के दिल के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता देने बारे प्रस्ताव मुख्य मंत्री राहत कोष, चण्डीगढ़ को भेजा हुआ है। सहायता हेतु केस भेजा हुआ है।	
16.	**23वीं राज्य स्तरीय एम्बूलैंस प्रतियोगिता– 2015:–** भारतीय रेड क्रास समिति,हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ के दिशा–निर्देशानुसार 23वीं राज्य स्तरीय एम्बूलैंस प्रतियोगिता–2015 का आयोजन 27 से 30 नवम्बर, 2015 तक कुरूक्षेत्र में संपन्न किया गया था। जिला सैंट जॉन एम्बुलैंस एसोसिएशन यमुनानगर की तरफ से भाग लेने के लिए विभिन्न 5 स्कूलों की टीमों को भाग लेने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था तथा सचिव रेड क्रास के नेतृत्व एवं दिशा निर्देशों में टीमों द्वारा अपनी भागीदारी दी गई थी। इस राज्य स्तरीय एम्बूलैंस प्रतियोगिता में जिला यमुनानगर को दो पोजिशन में जीत हासिल हुई है, 2nd एवं 3rd जिला यमुनानगर को घोषित किया गया तथा महामहिम राज्यपाल महोदय जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे उनके शुभ कर कमलों द्वारा जिला यमुनानगर की इन टीमों अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।	सूचित किया गया।
17.	**संस्था द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं को वर्ष 2016–17 के लिए जारी रखने बारे ।** जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर द्वारा निम्न परियोजनाऐं भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि से चला रही है । जिनमें मुख्यतः परिवार कल्याण केन्द्र, परिवार परामर्श केन्द्र, जिला पुर्नवास केन्द्र, भौतिक चिकित्सा केन्द्र, कामकाजी महिला आवास, बाल श्रम पुर्नवास केन्द्र इत्यादि हैं। अतः प्रस्तावित है कि इन परियोजनाओं को वर्ष 2016–2017 के लिए भी जारी रखा जाऐ और उनके अनुदान केस सम्बन्धित विभागों को भेजे जाने उचित होंगें।	अनुमोदित किया गया।
18.	**एम्बुलैंस सेवाओं बारे:–** भारतीय रेड क्रास समिति,हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ से एक इक्को ए0सी0 एम्बुलैंस वर्ष नवम्बर 2014 को प्राप्त हुई थी। यह एम्बुलैंस सामान्य हस्पताल,यमुनानगर से अपनी सेवाऐं दे रही है। इस एम्बुलैंस की प्रयोग दर 10/–रूपये प्रति किलोमीटर बिना ए0सी0 तथा 12/–रूपये प्रति किलोमीटर ए0सी0 में निर्धारित हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2015 से दिनांक 31.दिसम्बर 2015 तक	सूचित एवं अनुमोदित किया गया।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>कुल 204 मरीजों द्वारा इसका प्रयोग किया गया। खर्च विवरण निम्न प्रकार से हैः–
रसीदों से प्राप्त राशि 241690/–रूपये
पैट्रोल एवं रख–रखाव में खर्च 171227/–रूपये</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td><u>संस्था की सदस्यता बारे :</u>
जिला रैड क्रॉस सोसायटी, सैंट जॉन एम्बुलैंस एसोएिशन,यमुनानगर द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान आजीवन सदस्य बनाए गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार हैः–<table><tr><th>विभाग का नाम</th><th>मैम्बरशीप</th><th>प्राप्त राशि</th></tr><tr><td>रेड क्रास</td><td>10 -Life Member
2- Annual Member</td><td>5200/–रू0</td></tr><tr><td>सैंट जॉन</td><td>2297 Annual</td><td>149850/–रू0</td></tr></table></td>
<td>सूचित किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td><u>कपाल मोचन मेला में रेड क्रास द्वारा दी गई सेवाओं बारे–</u>
जिला रेड क्रास समिति, यमुनानगर द्वारा 21.11.2015 से 26.11.2015 तक आयोजित कपालमोचन मेला, बिलासपुर में इस वर्ष मेले में आए आम जनता एवं श्रद्वालुओं के लिए स्वच्छ एवं उचित रेट पर प्रसाद उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के आदेशानुसार जिला रेड क्रॉस समिति यमुनानगर द्वारा प्रसाद की स्टाल का प्रबधं किया गया था लगभग सभी कर्मचारियों की डियुटी प्रसाद की स्टॉल पर लगाई गई थी। यह प्रसाद की स्टॉल माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के दिशा–निर्देशानुसार नो प्रोफिट–नो लॉस पर आधारित थी। प्रसाद की खरीद पर कुल खर्च राशि 32107/–रूपये की गई तथा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य फुटकर खर्च /कार्यालय गाड़ी को प्रयोग में लाया गया तथा राशि 36,290/–रूप्ये का प्रसाद बेचा गया।</td>
<td>सूचित एवं अनुमोदित किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td><u>6 एकड़ भूमि के प्रयोग बारेः–</u>
जिला रैड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर द्वारा ग्राम पंचायत गोबिन्दपुरा से 6 एकड़ भूमि वर्ष 1997 में खरीदी गई थी जो सैक्टर 17 हुडा, जगाधरी में स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के पीछे लगती है। उपरोक्त छः एकड़ भूमि के प्रयोग हेतु संस्था द्वारा काफी बार प्रस्ताव रखे गऐ हैं परंतु अभी तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया जा सका है। भूमि के साथ लगती कालोनियों से इस भूमि पर अपने पानी की निकासी की हुई है तथा भूमि पर बरसात का पानी भी भर जाता है। भूमि पर अत्याधिक खरपतवार तथा कूडा एवं पानी एकत्रित होने के कारण पंजाबी वैल्फेयर सोसायटी, यमुनानगर द्वारा लिखित शिकायत भी प्राप्त हुई है। उपरोक्त पर कार्यवाही करते हुए सचिव, रेड क्रास द्वारा पंजाबी वैल्फेयर सोसायटी,</td>
<td>सर्वसम्मती से यह निर्णय लिया गया कि 6 एकड़ भूमि के लिए निशानदेही तथा चारदिवारी की कार्यवाही हेतु कार्यकारी अभियन्ता, पी0डब्लयू0डी0 बीएंडआर, यमुनानगर से अनुमानित लागत शीघ्र प्राप्त करें और आदेश दिए गये कि उपरोक्त कार्यवाही शीघ्र</td>
</tr>
</table>

	यमुनानगर के प्रधान व उनके अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की गई तथा मौके का निरिक्षण भी किया गया जिसमें यह पाया गया कि इस भूमि के साथ गुरू अर्जुन नगर की 11–12 गलियां लगती हैं इन सभी रिहायशी कालोनियों का पानी इस भूमि पर लगता है जिससे भूमि में दलदल बना हुआ है। माननीय उपायुक्त एंव प्रधान महोदय के समक्ष उपरोक्त जानकारी फाईल पर रखी गई। माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के आदेशानुसार भूमि की चारदिवारी करवाई जानी है तथा निशानदेही भी की जानी है। निशानदेही के सम्बन्ध में संस्था द्वारा तहसीलदार जगाधरी को पत्र जारी किया जा चुका है उनसे शीघ्र ही निशानदेही अपेक्षित है तथा भूमि पर चारदिवारी करवाने हेतु कार्यकारी अभियन्ता, पी0डब्लयू0डी0 बीएंडआर, यमुनानगर को अनुमानित खर्च बारे पत्र लिखा जा चुका है। कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जाने की उम्मीद है।	करवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला रैड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर की छः एकड़ भूमि में से 2 एकड़ भूमि, कॉमन एफयूलैंट ट्रीटमैंट प्लांट को दी जाए। दो एकड़ भूमि देने के सम्बन्ध में सचिव, रेड क्रॉस ने सदस्यों को अवगत करवाया कि भूमि अलॉट करने बारे मानद सचिव, भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ से सहमति एवं स्वीकृति ली जानी अनिवार्य होगी तथा यह भी जानना आवश्यक होगा कि यह भूमि किन नियम एवं शर्तो पर अलॉट की जाएगी ।
22.	<u>जिला स्तरीय 5 दिवसीय जुनियर रेडक्रॉस शिविर का आयोजन</u> भारतीय रैड क्रॉस समिति, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ से प्राप्त निर्देशों एवं माननीय उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रेड क्रॉस सोसायटी,यमुनानगर की अनुमति उपरांत एक जिला स्तरीय जे0आर0सी0 शिविर (जुनियर्रस हेतु– लडके एवं लडकियां) का आयोजन रेडक्रास भवन, जगाधरी में दिनांक 14.12.2015 से 19.12.2015 तक जिला रेड क्रॉस सोसायटी एवं शिक्षा विभाग,यमुनानगर की ओर से सामुहिक रूप से किया गया। इस शिविर में जिला के विभिन्न 10 विधालयों के विधार्थियों ने अपने –अपने काउंसलर के साथ अपनी भागीदारी दी। इस शिविर के आयोजन हेतु भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ से 50,000/– रूप्ये की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें कुल 47,060/–रूपये की राशि खर्च की गई है। इस पांच दिवसीय कैंप में युवाओं को समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों एवं समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें फर्स्ट एड व होम नर्सिग की ट्रेनिंग, पर्सनैल्टी डिवैल्पमैंट, नशाखोरी, तनाव मुक्त रहने के मूलमंत्र,	सूचित एवं अनुमोदित किया गया।

	प्राकृतिक आपदा, ट्रैफिक रूल्स इत्यादि की जानकारी दी गई।बच्चों के स्वास्थ्य के लिए दांतों एवं आंखों के स्पैशलिस्ट को भी बुलाकर चैकअप करवाया गया।	
23.	**जूनियर रैड क्रास, यमुनानगर की गतिविधियां :–** • कुल 16 गरीब, निर्धन, जरूरतमंद एवं असहाय बच्चों कों जुनियर रैड क्रॉस, यमुनानगर द्वारा सम्बन्धित स्कूलों के माध्यम से मासिक फीस, वर्दी एवं दाखिले के सम्बन्ध सहायता तथा पढ़ाई से सम्बन्धित अन्य आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। • एम.एल.एन.वरिष्ठ माध्यमिक विधालय,रादौर जिला यमुनानगर में पढ रहे 50 गरीब,निर्धन एवं असहाय बच्चों को स्कूल जे.आर.सी. फण्ड से निःशुल्क सर्दी से बचाव हेतु 50 गर्म जर्सीयां उपलब्ध करवाई गई। • इसी कडी में वर्ष 2015–16 के लिए एक जिला स्तरीय काउंसलर शिविर का आयोजन भी माननीय उपायुक्त महोदय की अनुमति उपरांत माह फरवरी 2016 के द्वितिय सप्ताह तक किया जाना है जिसके लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ से 50,000/–रूपये की अनुदान राशि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। • भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ की ओर से जिला यमुनानगर के विभिन्न स्कूलों में गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने एवं उन्हें बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2015–16 में निम्न सामान निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया हैः– **जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर**। 1 60 वाटर कैम्पर 20 लिटर क्षमता वाले 2 50 फर्स्ट एड बॉक्स 3 500 जैक्ट 4 500 टोपी 5 500 स्कार्फ एंव वोगल्स **जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर**। 1 120 वाटर कैम्पर 20 लिटर क्षमता वाले **2** 50 फर्स्ट एड बॉक्स	सूचित किया गया।
24.	**जे0आर0सी0 एन्नुवल कुलैक्शन बारे** जिला रेड क्रास समिति, यमुनानगर की जे0आर0सी0 शाखा के माध्यम से गरीब एवं असहाय बच्चों को समय–समय पर निःशुल्क किताबें, कापिया, स्कूल युनिफार्म, जर्सीया, जुते–जुराबें एवं अन्य जरूरत का सामान तथा बच्चों की दाखिला एवं मासिक फीस इत्यादि भी अदा की जाती है। इसके साथ–साथ जिला रेड क्रास समिति, यमुनानगर की जे0आर0सी0 गतिविधियों को बढ़ावा देने	सूचित एवं अनुमोदित किया

	हेतू समय–समय पर जिला यमुनानगर के विभिन्न स्कूलो में जाया जाता है जिसमें की जे0आर0सी0 वाहन का प्रयोग किया जाता है। इस वाहन के रख–रखाव एवं तेल का खर्च भी इसी एन्नुवल कुलैक्शन से अदा किया जाता है। इसके साथ–साथ रेड क्रास एवं जे0आर0सी0 की भूमिका के बारे में तथा सामाजिक सेवा के बारे में जानकारी देने हेतू जे0आर0सी0 काउंसलर एवं जे0आर0सी0 (लडके एवं लड़कियों) शिविरों का आयोजन भी किया जाता है जिसका खर्च जे0आर0सी0 फण्ड से किया जाता है। जे0आर0सी0 से सम्बन्धित खाता जो पहले जे0आर0सी0 के नाम से ही चलाया जा रहा था। दिनांक 12.08.2014 को हुई कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार अब यह खाता स्टूडैंटं वैल्फेयर फण्ड के नाम से चलाया जा रहा है। जे0आर0सी0 गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतू जिला के सभी नीजी, पब्लिक एवं कान्वैंट स्कूलों के नौवीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों से 15/–रूपये प्रति छात्र प्रतिवर्ष व 11वी तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से 20/–रूपये प्रति छात्रों से एन्नुवल कुलैक्शन की राशि के रूप में प्रतिवर्ष एकत्रित किया जाता है। गतवर्ष (2014–2015) में राशि मु0 2,71,969/–रूपये एकत्रित किए गये। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लिए भी उपरोक्त राशि एकत्रित करने की स्वीकृती देना प्रस्तावित है। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए जे0आर0सी0 कैम्प (विद्यार्थियों हेतु लड़के एवं लड़कियां) तथा जे0आर0सी0 काउंसलर्रस शिविरों का आयोजन भी इस वर्ष में किया जाना है। कृप्या शिविरों का आयोजन करने हेतु स्वीकृति प्रस्तावित है।	गया।
25.	**<u>रेड क्रॉस परिवार कल्याण केन्द्र, यमुनानगर में कार्यरत कर्मचारिकाओं को जिला रेड क्रॉस शाखा, यमुनानगर में स्थाई तौर पर समायोजित करने बारे</u>**। सादर लिखा जाता है कि रेडक्रॉस परिवार कल्याण केन्द्र, यमुनानगर कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित स्कीम के अर्न्तगत चलाया जा रहा है। इस स्कीम के अर्न्तगत 100प्रतिशत अनुदान राशि वेतन के रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, इस प्राप्त अनुदान राशि में संस्था का कोई भी शेयर शामिल नहीं किया जाता। भारत सरकार द्वारा अनुदान महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं हरियाणा, पंचकूला को उपलब्ध करवाया जाता है तथा हरियाणा सरकार द्वारा जिला स्तर पर अर्बन फेमिली वैल्फेयर प्लानिगं केन्द्रों को अनुदान वितरित किया जाता है। जिला परिवार कल्याण केन्द्र पर कर्मचारियों की नियुक्ति उपरोक्त स्कीम के अर्न्तगत की जाती है। अतः इस केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारिकाओं की नियुक्ति रेड क्रॉस में नहीं की गई थी बल्कि रैड क्रास द्वारा संचालित प्रोजैक्ट/स्कीम जिला परिवार कल्याण केन्द्र, यमुनानगर' में की गई थी। <u>उपरोक्त केन्द्र जो वर्ष 1990 (यमुनानगर जिला बनने से) संचालित</u>	श्रीमती प्रमिल लता,लिपिक –कम–स्टोर कीपर, परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु केन्द्र, यमुनानगर में वर्ष 1991 से कार्यरत है।इस केन्द्र का अनुदान प्रतिवर्ष नियमानुसार महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं हरियाणा, पंचकूला से प्राप्त होता है। बैठक में उपस्थित श्री ललीत सलूजा व श्री राजेन्द्र

	किया हुआ है जिसकी अनुदान राशि नियमपुर्वक स्वास्थ्य सेवाऐं, हरियाणा पंचकूला से प्राप्त होती आ रही है उक्त केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारिकाओं द्वारा आवेदन पत्र दिए गये हैं कि उनकी सेवाऐं जिला रेड क्रॉस शाखा,यमुनानगर में स्थाई तौर पर समायोजित कर दी जाऐं। अधिकारीगणों को सादर लिखा जाता है कि उपरोक्त कर्मचारिकाओं द्वारा इस सम्बन्ध में सभी लाभांश एंव अन्य उपरोक्त मामले बारे माननीय कोर्ट कैट चण्डीगढ़, बैंच चण्डीगढ़ में भी केस किया जा चुका है । माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों की मांग स्वीकार न करते हुए फैसंला संस्था के हक में किया जा चुका है। दिनांक 20.02.2014 को तत्कालिन उपायुक्त एवं प्रधान महोदय द्वारा स्पीकिंग आर्डर जारी किया गया था जिसमें सभी रिकार्ड एवं दस्तावेजों का निरिक्षण करने उपरांत आदेश जारी करे थे कि उपरोक्त तीनों कर्मचारिकाओं की सेवाऐं परिवार कल्याण केन्द्र में रहेंगी और सभी लाभांश महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं हरियाणा पंचकूला से प्राप्त अनुदान राशि पर निर्भर रहेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी,हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ से भी लिखित में उचित मार्गदर्शन की मांग की गई थी। उन्होंने लिखित में अपना उचित मार्गदर्शन दिया है जिसका विवरण इस प्रकार है:– **''समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात् यह पाया गया है कि न्यायालय द्वारा दिए गये आदेशों तथा तत्कालिन उपायुक्त एवं प्रधान महोदय द्वारा पारित किये हुये आदेशों को अनदेखा/ दरकिनार नहीं किया जा सकता''।** अधिकारीगणों को यह भी सादर लिखा जाता है कि पूर्व में महामहिम राज्यपाल हरियाणा तथा भारतीय रेड क्रॉस समिति,हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ से समय –समय पर संस्था को निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी को रैगुलर करने के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्राप्त की जाए, उसके बाद उनकी हिदायतों अनुसार आगे कार्यवाही एवं सभी औपचारिकताऐं पूर्ण की जाऐं। यहां यह भी लिखा जाता है कि प्रत्येक जिला शाखा के लिए **Sanction Post** महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय रेड क्रॉस समिति, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ की **Managing Body** में प्रत्येक जिला शाखा के लिए **Sanction Post** स्वीकृत की हुई है। **Sanction Post** की अपेक्षा यदि किसी भी जिला शाखा में अतिरिक्त स्टॉफ है तो उनकी रिटायरमैंट के बाद उनकी सीट/पद **Abolish** कर दी जाऐ और उसके विरूद्व कोई भर्ती न की जाऐ। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही अमल में लाने से पहले महामहिम राज्यपाल महोदय हरियाणा के दिशा– निर्देशानुसार आगे कार्यवाही अमल में लाई जानी है। * * * * * * * *	गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्यों के माध्यम से श्रीमती प्रमिल लता को जिला रेडक्रॉस शाखा में समायोजित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बैठक में सर्वसम्मती से यह निणर्य लिया गया कि श्रीमती प्रमिल लता को जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर में समायोजित करने के लिए महामहिम राज्यपाल एवं अध्यक्ष, भारतीय रेड क्रॉस समिति, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ को उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए केस भिजवाया जाए। आगामी कार्यवाही महामहिम राज्यपाल एवं अध्यक्ष महोदय से प्राप्त आदेशानुसार अमल में लाई जाएगी।

उपरोक्त के साथ–साथ यह भी सादर जानकारी दी जाती है कि जिला रेड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर तथा संस्था द्वारा संचालित प्रोजैक्ट/स्कीमों में जिनका अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है और उनकी नियुक्ति प्रोजैक्ट के अर्न्तगत की हुई है, इन सभी कर्मचारियों के भी समय–समय पर रैगुलर करने बारे तथा अतिरिक्त लाभांश बारे रेड क्रॉस में आवेदन प्राप्त होते रहे हैं तथा कर्मचारियों द्वारा मांग की जाती रही है। विवरण इस प्रकार हैः–

1. श्री शीशपाल सिंह सोही, कार्यक्रम अधिकारी, जिला रेड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह वेतन पर कार्यरत हैं।
2. श्री चन्द्रशेखर, लिपिक, जिला रेड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह वेतन पर कार्यरत हैं।
3. श्री दिनेश कुमार, सेवादार, जिला रेड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह डी.सी.रेट पर कार्यरत हैं।
4. श्री नरेश कुमार, सफाई कर्मचारी, जिला रेड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह डी.सी.रेट पर कार्यरत हैं।
5. श्री राज कुमार, कम्पयूटर आप्रेटर, जिला रेड क्रॉस(सैंट जॉन एम्बुलैस), यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह डी.सी.रेट पर कार्यरत हैं।

<u>प्रोजैक्ट एवं स्कीम में कार्यरत कर्मचारीगणों की सूची</u>

6. श्री महेन्द्रपाल, परामर्शदाता, परिवार परामर्श केन्द्र, यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। जिसका अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है, जिसकी सेवाऐं अनुदान राशि पर निर्भर हैं।
7. श्री ऋषिपाल त्यागी, प्रोजैक्ट इंचार्ज, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। जिसका अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है और कर्मचारी की नियुक्ति संचालित प्रोजैक्ट/स्कीम के अर्न्तगत की हुई है, जिसकी सेवाऐं अनुदान राशि पर निर्भर हैं।
8. श्री अशोक कुमार, लिम्ब मेकर, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। जिसका अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है और कर्मचारी की नियुक्ति संचालित प्रोजैक्ट/स्कीम के अर्न्तगत की हुई है, जिसकी सेवाऐं अनुदान राशि पर निर्भर हैं।
9. श्री विजय कुमार, शू–मेकर, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। जिसका अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है और कर्मचारी की नियुक्ति संचालित प्रोजैक्ट/स्कीम के अर्न्तगत

	की हुई है, जिसकी सेवाऐं अनुदान राशि पर निर्भर हैं। 10. श्री रोहित सिंगला, फिजियोथेरोपिस्ट, जिला भौतिक चिकित्सा केन्द्र, जगाधरी में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। जिसका अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त होता है और कर्मचारी की नियुक्ति संचालित प्रोजैक्ट/स्कीम के अर्न्तगत की हुई है, जिसकी सेवाऐं अनुदान राशि पर निर्भर हैं। 11. श्रीमती जसपाल कौर, जिला भौतिक चिकित्सा केन्द्र, जगाधरी में फिक्स प्रतिमाह मानदेय पर कार्यरत हैं। 12. श्री अमित कुमार, ब्रेस मेकर, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, यमुनानगर में फिक्स प्रतिमाह मानदेय पर कार्यरत हैं। 13. उपरोक्त के अतिरिक्त रेड क्रॉस सुविधा केन्द्र पर चिकित्सा अधिकारी, लैब टैक्निशियन तथा श्रीमती पूनम मेहता, लिपिक परिवार परामर्श केन्द्र पर फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। 14. श्रीमती सुनीता शर्मा कम्पयूटर इन्स्ट्रक्टर,जिला बाल श्रम पूनर्वास केन्द्र में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। 15. सुश्री पुजारानी, सुपरवाईजर, जिला बाल श्रम पूनर्वास केन्द्र में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। 16. श्रीमती प्रोमिला,स्वीपर,जिला बाल श्रम पूनर्वास केन्द्र में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। 17. श्रीमती मुन्नी, कुक, जिला बाल श्रम पूनर्वास केन्द्र में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। 18. श्री हरकेश कुमार, हैल्पर कम वाचमैन, जिला बाल श्रम पूनर्वास केन्द्र में फिक्स प्रतिमाह पर कार्यरत हैं। उपरोक्त कर्मचारियों की हमेशा मांग रही है कि उन्हें रेड क्रास में रैगुलर किया जाए और अतिरिक्त धनराशि जिला रेड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर से उपलब्ध करवाई जाऐ। उपरोक्त कर्मचारियों की मांग समय–समय पर पूर्व में रेड क्रॉस कार्यकारिणी में भी रखी जा चुकी है जिस पर कर्मचारीगणों को रैगुलर वेतनमान अदा किया जाना स्वीकृत नहीं किया गया। यही नहीं बल्कि **उपरोक्त सूची में दर्शाए गये कर्मचारीगण श्री दिनेश कुमार तथा विकलांग केन्द्र पर कार्यरत श्री ऋषिपाल त्यागी,प्रोजैक्ट इंचार्ज, जिला विकलांग पूनर्वास केन्द्र यमुनानगर एवं अन्य स्टाफ सहित माननीय उच्च न्यायालय (कैट चण्डीगढ़ बैंच चण्डीगढ़) में केस भी दायर किया था जिसका फैंसला हो चुका है। इन सभी कर्मचारियों की मांग उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई है, अतः फैसलां संस्था के हक में हो चुका है।** पूर्व में महामहिम राज्यपाल हरियाणा,चण्डीगढ़ एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ से समय–समय पर दिशा–निर्देश	

<table>
<tr><td></td><td>जारी किए जा चुके हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा की सभी जिला रेडक्रॉस शाखाओं की जांच के दौरान एक रिटायर्ड न्यायाधीशों की कमेटी बनाई गई थी उन द्वारा भी दिशा–निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं कि संस्था ऐसा कोई भी प्रोजैक्ट हाथ में ना ले जिससे संस्था को नुक्सान हो। उपरोक्त में से यदि किसी कर्मचारी को रैगुलर वेतनमान दिया जाता है तो उपरोक्त सभी कर्मचारी अपने हक में उच्च अधिकारीगणों एवं कोर्ट का सहारा ले सकते हैं जिससे संस्था को बहुत भारी आर्थिक नुक्सान प्रतिमाह झेलना पड़ सकता है और संस्था की जवाब देही भी बन सकती है।

उपरोक्त तथ्यों को मदेनजर रखते हुए प्रोजैक्ट में कार्यरत कर्मचारियों को रेड क्रॉस में समायोजित किया जाना उचित नहीं बनता। सुझाव यह है कि उपरोक्त मामले में यदि कोई निणर्य लिया जाना आवश्यक है तो नियमानुसार उसकी पूर्व अनुमति सभी दस्तावेज का अवलोकन करवाते हुए महामहिम राज्यपाल हरियाणा,चण्डीगढ़ से ली जानी उचित होगी</td><td></td></tr>
<tr><td>26.</td><td>संस्था की लेखा परिक्षा अवधी 4/2010 से 03/2015 की प्राप्त आपत्तियों बारे :–

संस्था का वर्ष 04/2010 से03/2015 तक का ऑडिट कार्यालय प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा भिजवाई गई ऑडिट पार्टी द्वारा किया गया था जिस उपरांत सम्बन्धित विभाग से पत्र संख्या एस.एस. /वैटिंग–II/ ऑडिट नोट/2014–15 /230–32 दिनांक 12.06.2015 के माध्यम से संस्था के उपरोक्त अवधी तक के लेखाओं की परीक्षा एंव नीरिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं:–

लेखा परीक्षा अवधी के दौरान कार्यालय का कार्यभार निम्नलिखित अधिकारियों के पास रहा है:–

<table>
<tr><th>क्र0 स0</th><th>पदाधिकारियों /अधिकारियों का नाम</th><th>पद</th><th>अवधी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सर्व श्री डी.आर.शर्मा</td><td>सचिव</td><td>01.04.10 से 18.10.11 तक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री श्याम सुन्दर</td><td>स्म</td><td>19.10.11 से 16.03.15 तक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री नवीन आहुजा, एच.सी.एस</td><td>नगराधीश, यमुनानगर</td><td>17.03.15 से</td></tr>
</table>

भाग–1(ख) पुरानी लेखापरीक्षा आपत्तियों का पुनर्वालोकन– सलंग्न है।
भाग–1(ग) बार–बार दोहराई जाने वाली अनियमितताऐं–शून्य।
भाग–1(घ) व्यय विवरण

<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>बजट प्रावधान</th><th>खर्चा/आकस्मिक (लाखों में)</th></tr>
<tr><td>2010–11</td><td>———</td><td>72.99</td></tr>
<tr><td>2011–12</td><td>———</td><td>62.30</td></tr>
</table>
</td><td>माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के आदेश दिनांक 10.07.2015 की अनुपालना में सम्बन्धित कर्मचारियों को 15 दिन के अंदर–अंदर Annotated reply हेतु आदेश जारी किए गये थे। उपरोक्त सम्बन्ध में निम्न कर्मचारियों का जवाब प्राप्त हुआ है:–
1 श्री शशी भूषण लेखाकार
2 श्री राजबीर सिंह,लिपिक

जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।
बैठक में यह निणर्य लिया गया कि जवाब देही हेतु श्री प्रवीण कुमार, लेखाकार का जवाब प्राप्त न होने के कारण पुनः आदेश जारी किए जाऐं कि वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए</td></tr>
</table>

2012–13	–––	53.65
2013–14	–––	159.50
2014–15	–––	151.26

भाग–2 (क) गम्भीर अनियमितताएंः– शून्य

भाग–2 (ख) पैरा 1 से 5 तक

- **<u>पैरा–1 हैरिस परियोजना की राशि का लाभ कम वसूल करना 64.14 लाख रू</u>**

जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर द्वारा हैरिस परियोजना चलाई जा रही है।इस परियोजना के अर्न्तगत तहसील कार्यालय में सेल डीड रजिस्ट्रेशन, गिफट डीड, लीज डीड, मैरिज रजिस्ट्रेशन, जी.पी.ए., इकरारनामा डीड एवं अन्य विविध दस्तावेजों पर विभिन्न दरों पर निर्धारित सर्विस चार्ज की वसूली की जाती है। जनवरी 2004 से इस परियोजना को आई.टी.सोसायटी के अधीन कर दिया गया था और निणर्य लिया कि कुल प्राप्त राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा रेड क्रॉस सोसायटी को दिया जाएगा।

जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर के वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक के हैरिस परियोजना के लेखों की जांच में पाया गया कि जिला आई.टी. समिति ने उपरोक्त पांच वर्षो में परियोजना के तहत 254.78 लाख रूप्ये की वसूली की गई जिसका 40प्रतिशत हिस्सा 101.91 लाख रूप्ये बनता था जिसके विरूद्व रेड क्रॉस सोसायटी को केवल 37. 77 लाख रूप्ये राशि दे दी गई। इस प्रकार कुल 64.14लाख रूप्ये की राशि कम प्राप्त हुई है जिसका विवरण पैरे के साथ सलंग्न विवरणी–क में दर्शाया गया है। इसके कारणों से लेखा परिक्षा को अवगत करवाया जाये।

इस संबध में आडिट मीमो संख्या 3 दिनांक 7.5.2015 जारी किया गया, जिसके उत्तर में विभाग ने बताया कि जिला सूचना अधिकारी को इस सम्बन्ध में पत्राचार करके राशि भिजवाने हेतु लिखा जाएगा तथा वसूली उपरांत ऑडिट को सूचित कर दिया जाएगा।

- **<u>पैरा–2 राज्य ब्रांच को मैंबरशिप और डोनेशन का कम हिस्सा भेजना 8.08 लाख रू</u>**

भारतीय रेड क्रॉस समिति, जिला ब्रांच यमुनानगर के संविधान के नियम 16 के तहत फण्डस को एकत्रित करना एवं उनका वर्गीकरण संबंधी दिशा–निर्देश दिए गये हैं। जिसके अर्न्तगत मैंमबरशीप फीस, वेराईटी शो, मेला, फलैग इत्यादि से जो आय प्राप्त होगी, इसका 70 प्रतिशत जिला ईकाई अपने पास रखेगी तथा बाकी 30 प्रतिशत हिस्सा राज्य ब्रांच के पास जमा करवाएगी।

जिला रेड क्रॉस सोसायटी,यमुनानगर के वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधी में लेजर एवं वार्षिक लेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मैंमबरशीप एवं डोनेशन शीर्ष के अर्न्तगत 24.68लाख राशि प्राप्त हुई जिसका 30प्रतिशत हिस्सा 7.40 लाख रूपये बनता है जो कि राज्य ब्रांच को भेजना था परंतु केवल 0.66 लाख रू की राशि राज्य ब्रांच को भेजी गई। अतः 6.74 लाख राशि कम भेजी गई है जिसका विवरण

एक महीने के अंन्दर–अन्दर पैरे का निपटान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा लापरवाही एवं विलम्ब करने की सूरत में अन्यथा विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

<u>पैरे का निबटान रेडक्रास लेखाकार से सम्बन्धित है।</u>

बैठक में यह निणर्य लिया गया कि जवाब देही हेतु श्री प्रवीण कुमार, लेखाकार का जवाब प्राप्त न होने के कारण पुनः आदेश जारी किए जाऐं कि वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक महीने के अंन्दर–अन्दर पैरे का निपटान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा लापरवाही एवं विलम्ब करने की सूरत में अन्यथा विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

<u>पैरे का निबटान रेडक्रास लेखाकार से सम्बन्धित है।</u>

बैठक में यह निणर्य लिया गया कि जवाब देही हेतु श्री प्रवीण कुमार, लेखाकार का जवाब प्राप्त न होने के कारण पुनः आदेश जारी किए जाऐं कि वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक महीने के अंन्दर–अन्दर पैरे का निपटान करना सुनिश्चित

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
पैरे के साथ सलंग्न अनुलंग्नक में दर्शाया गया है।
इसके अतिरिक्त पिछली निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा संख्या एक के माध्यम से इसी प्रकार की आपत्ति उठाई गई थी जिसमें वर्ष 4/2008 से 3/2010 तक की अवधि में मैंबरशिप और डोनेशन मद के तहत 16.31 लाख रू राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से 2.03 लाख रू राज्य ब्रांच को भेजी जानी थी पंरतु 0.69 लाख रू भेजी गई, इस प्रकार 1.34 लाख रू राशि कम भेजी गई है। इससे प्रतीत होता है कि सोसाईटी द्वारा राज्य ब्रांच को निर्धारित हिस्सा नहीं भेजा जा रहा है तथा लेखों में कम हिस्सा भेजने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है।
राज्य ब्रांच को निर्धारित हिस्से से कम राशि भेजने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये तथा अब समस्त राशि भेजकर पुरानी बकाया राशि का समायोजन किया जाये।
इस संबध में ऑडिट मीमो न. 4 दिनांक 07.05.2015 जारी किया गया, जिसके उत्तर में विभाग ने बताया कि उपरोक्त राशि को राज्य ब्रांच भिजवाकर ऑडिट को सूचित कर दिया जाएगा।
<u>पैरा–3 पी.ओ.एल. खर्चो की वसूली न करना 2.33 लाख रू</u>
जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर की गाड़ी टाटा सफारी संख्या एच.आर. 02पी/2222 को जिला उपायुक्त,यमुनानगर के पत्र क्रमांक 1622–23 /पी.एल.ए. दिनांक 05.07.2012 द्वारा चल संपति अधिनियम 1975 की शक्तियों के तहत मांग/रिक्वीजिशन की गई जोकि बाढ़ सुरक्षा कार्यो के मद्वेनजर आवश्यक थी तथा आगामी आदेश तक गाड़ी अपने पास रखने के आदेश थे। इस सम्बन्ध में पी.ओ.एल. खर्च उसी कार्यालय द्वारा वहन करने थे जिसके द्वारा वाहन की मांग की गई थी।
जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर के वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक के पी.ओ.एल. सम्बधी लैजर एवं वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 05.07.2012 से 31.03.2015 तक 2.32.732रूप्ये की राशि उक्त वाहन के पी.ओ.एल. पर जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर द्वारा खर्च की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>व्यय</th></tr>
<tr><td>2012–13</td><td>36,846/–</td></tr>
<tr><td>2013–14</td><td>1,17,767/–</td></tr>
<tr><td>2014–15</td><td>78,119/–</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td>2,32,732/–</td></tr>
</table>
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी की जाती है:–
(क) जिला उपायुक्त यमुनानगर से रेड क्रॉस सोसायटी का वाहन एवं चालक दिनांक 05.07.2012 से लगातार कार्यरत है, क्या उपायुक्त कार्यालय द्वारा बाढ़ स्थिति के ठीक होने उपरांत वापिस इस कार्यालय को भेजा गया है।
(ख) पी.ओ.एल. पर लगातार राशि खर्च की जा रही है, जबकि इस खर्चे को उपायुक्त कार्यालय द्वारा वहन किया जाना था, इसकी वसूली संबधी
</td>
<td>
करें, अन्यथा लापरवाही एवं विलम्ब करने की सूरत में अन्यथा विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

निर्णय अधिकारियों द्वारा लिया जाना है।

सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें।
</td>
</tr>
</table>

	सोसाईटी द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गये हैं लेखा परीक्षा को स्थिति से अवगत करवाया जाए। इस संबध में ऑडिट मीमो न. 5 दिनांक 11.05.2015 विभाग को जारी किया गया, जिसके उत्तर में विभाग ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय यमुनानगर से पत्राचार करके की गई कार्यवाही से ऑडिट को सूचित कर दिया जाएगा।	
	• **पैरा–4 वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन न करना।** जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर के संविधान की धारा 10 के तहत वर्ष में एक बार वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) करना अनिवार्य है, जिसका समय, स्थान एवं दिनांक सोसायटी के प्रधान महोदय द्वारा निर्धारण करना होता है। उपरोक्त बैठक में पिछले वर्ष के वार्षिक लेखे जैसा कि प्राप्ति एंव भुगतान लेखे, आय एवं व्यय लेखे तथा तुलन पत्र सभी संबधि शैडयूलस के साथ चार्टड अकाउंटैट द्वारा प्राधिकृत कापी सामान्य बैठक में प्रधान महोदय के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है तथा वार्षिक लेखों का अनुमोदन करवाना होता है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के लिए लेखों के तैयार करने हेतु सी.ए. की नियुक्ति की जानी होती है। जिला रेड क्रॉस सोसायटी के वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधी के कार्य कारिणी की बैठक एंव वार्षिक लेखों की नमूना जॉंच में पाया गया कि उक्त पॉच वर्षो की अवधि में सोसाइटी द्वारा एक बार भी वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन नहीं किया गया, जो कि संविधान के वर्णित प्रावधानों की उल्लघन है। इस संबध में ऑडिट मीमो न. 2 दिनांक 06.05.2015 जारी किया गया, जिसके उत्तर में विभाग ने बताया कि वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन संबंधी जिला उपायुक्त से अनुमति लेकर वर्ष में एक बार सामान्य बैठक का आयोजन करवा लिया जायेगा।	अध्यक्ष महोदय एवं रेडक्रॉस कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निणर्य लिया गया कि शीघ्र ही निकट भविष्य में वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया जाए।
	अन्य अनियमितताऐंः– **लॉग पुस्तिका :–** वित्तिय नियमावली के अनुसार लॉग पुस्तिका एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है, जिसके माध्यम से कार्यालय के वाहनों की प्रत्येक गतिविधि का पता चलता है कि वाहन किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रयोग में लाया गया, यात्रा का उद्वेश्य, कितने किलोमीटर यात्रा की गई, ईधन की खपत इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण का उल्लेख होता है, इसके अतिरिक्त वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारी एवं नियंत्रण सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाने होते हैं ताकि वाहनों का दुरूप्योग न हो सके। सचिव, जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर के वर्ष 2010–2011 से 2014–15 तक विभिन्न वाहनों की लॉग पुस्तिका का नमूना जांच में विभिन्न अनियमितताऐं पाई गई, जिसका विवरण इस प्रकार से हैः– 1 **वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारी से हस्ताक्षर न होना।** वाहन संख्या एच.आर.–02 एल/2222 बोलेरो जीप की लॉग पुस्तिका में	**गाड़ियों के दुरूप्योग के सम्बन्ध में जवाबदेही पूर्व सचिव श्री श्याम सुन्दर की बनती है।** इस सम्बन्ध में सचिव, जिला रेड क्रॉस के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया कि यह ऑडिट ऑब्जैक्शन मेरे आने से पूर्व के हैं, इस बारे में जवाब पूर्व सचिव श्री श्याम सुन्दर से पत्र लिखकर लिया जाना उचित होगा। जवाब प्राप्त होने पर

निम्न तिथियों पर यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी एंव नियन्त्रण अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं करवाए गये, इससे यह प्रतीत होता है कि वाहन पर सरकारी कार्य हेतु उद्वेश्य पूरा हुआ है या नहीं जिसकी अनुपस्थिति में वाहन दुरूप्योग का आशंका से नकारा नहीं जा सकता हैं ।

दिनांक	कितने किलोमीटर यात्रा की गई
18.05.2012	36
23.05.2012	96
30.06.2012	576
31.08.2012	70
01.10.2012	82
28.12.2012	64
30.01.2013	69
31.01.2013	70
31.07.2013	90
22.08.2014	50
05.01.2015	50

नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए ऑडिट आपत्ति दूर कर दी जाएगी। बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा इस कार्य के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया।

2 यात्रा कार्यक्रम का अनुमोदन न होना

यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सरकारी उद्वेश्य से सरकारी वाहन को उपयोग में लाता है तो उसका यात्रा कार्यक्रम सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। निम्न प्रकरणों में सरकारी वाहनों का प्रयोग किया गया परंतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का यात्रा कार्यक्रम कार्यालय के अभिलेख में नहीं पाया गया ।

वाहन संख्या	दिनांक	कितनी यात्रा की गई	कहां तक यात्रा की	अधिकारी/कर्मचारी का नाम
HR02L -2222	11.06.2012	256 कि0मी0	चण्डीगढ एवं वापसी	श्री श्याम सुन्दर, सचिव
—सम—	30.06.2012	576कि0मी0	भिवानी एवं वापसी	श्री श्याम सुन्दर, सचिव
HR58A -2002	08.05.2012	303कि0मी0	फरीदाबाद	श्री श्याम सुन्दर, सचिव
—सम—	09.05.2012	56कि0मी0	लोकल	श्री श्याम सुन्दर, सचिव
—सम—	16.05.2012	128कि0मी0	लोकल	श्री श्याम सुन्दर, सचिव
—सम—	18.05.2012	168कि0मी0	लोकल	श्री श्याम सुन्दर, सचिव
—सम—	04.08.2012	108कि0मी0	लोकल	श्री श्याम सुन्दर, सचिव
—सम—	10.10.2012	310कि0मी0	हरीद्वार	श्री श्याम सुन्दर, सचिव

गाड़ी के दुरूप्योग बारे जवाबदेही पूर्व सचिव रेडक्रॉस श्री श्याम सुन्दर की बनती है।

इस सम्बन्ध में सचिव, जिला रेड क्रॉस के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया कि यह ऑडिट ऑब्जैक्शन मेरे आने से पूर्व के हैं, इस बारे में जवाब पूर्व सचिव श्री श्याम सुन्दर से पत्र लिखकर लिया जाना उचित होगा। जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए ऑडिट आपत्ति दूर कर दी जाएगी। बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा इस कार्य के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया।

3 डुप्लीकेट यात्राऐं

एक समय में एक अधिकारी किसी एक वाहन द्वारा यात्रा कर सकता है,

डुप्लीकेट यात्राओं बारे

परन्तु कई प्रकरणों में सचिव द्वारा एक समय में दो विभिन्न वाहनों द्वारा यात्रा की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	वाहन संख्या	यात्रा की अवधी	कितनी यात्रा की गई	स्थान	लॉग बुक पृष्ठ संख्या
14.11.2013	**HR02L-2222**	**9-10 to 7-41PM**	89कि0मी0	कपालमोचन	**P-137**
14.11.2013	**HR58A -2002**	**6-25PM to 9-40PM**	51कि0मी0	कपालमोचन	**P-167**
03.09.2012	**HR02L-2222**	**9-35AM to 9-50PM**	62कि0मी0	जगाधरी लोकल	**P-23**
03.09.2012	**HR58A -2002**	**4-26PM to 5-52PM**	6कि0मी0	लोकल–बुड़िया	**P-48**
27.10.2012	**HR02L-2222**	**10-30AM to4-31PM**	65कि0मी0	ट्रामा सैंटर	**P-35**
27.10.2012	**HR58A -2002**	**8-20AM to 2-50PM**	176कि0मी0	अम्बाला	**P-61**
13.12.2013	**HR02L-2222**	**9-31AM to 4-50PM**	42कि0मी0	लोकल	**P-144**
13.12.2013	**HR58A -2002**	**6-00AMto 10-30PM**	488कि0मी0	दिल्ली	**P-178**

(ख) <u>वाहनों की औसत खपत निर्धारण न करवानां</u>

प्रत्येक वाहन की इंधन खपत वर्ष में एक बार सरकारी हरियाणा रोडवेज कर्मशाला से निर्धारण करवानी होती है ताकि लॉग पुस्तिका में ईधन खपत की औसत का निर्धारण दर्शाया जा सके। सचिव, जिला रैडक्रास सोसायटी के सभी वाहन **HR058A-2002, HR02L-2222, HR58A-9983, HR68-9874, HR0P-2222** एंव **HR02P-1000** इत्यादि की औसत खपत सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे। जिसकी अनुपस्थिति में वाहनों की वास्तविक ईधन खपत प्रति लीटर की जांच लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।

(ग) <u>मोटर साईकिल संख्या HR02P-1000 का बेकार खड़े होना</u>

जूनियर रैडक्रास सोसायटी द्वारा एक मोटर साईकिल बजाज प्लैटिना दिनांक 13.02.2008 को खरीदा गया था। लॉग बुक पुस्तिका की जांच में पाया गया कि दिनांक 21.04.2008 से 03.08.2010 एवं 08.02.2011 से 28.7.2014 तक मोटर साईकिल प्रयोग करने वाले कर्मचारी की पृष्टियों को सचिव द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया कि वाहन का उपयोग सरकारी कार्य के लिए ही किया जा रहा है या नहीं? लेखा परीक्षा में आगे देखा गया कि वाहन ने 38,643 कि0मीटर यात्रा का उल्लेख लॉग पुस्तिका में दिनांक 28.07.2014 तक किया गया परन्तु उसके बाद कोई पृष्टि नहीं है तथा न ही मोटर साईकिल खराब/कंडम होने बारे कोई प्रलेख

जवाबदेही पूर्व सचिव रेडक्रॉस श्री श्याम सुन्दर की बनती है।

इस सम्बन्ध में सचिव, जिला रेड क्रॉस के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया कि यह ऑडिट ऑब्जैक्शन मेरे आने से पूर्व के हैं, इस बारे में जवाब पूर्व सचिव श्री श्याम सुन्दर से पत्र लिखकर लिया जाना उचित होगा। जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुए ऑडिट आपत्ति दूर कर दी जाएगी। बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा इस कार्य के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया।

कार्यकारिणी बैठक में निणर्य लिया गया कि पैरे का निबटान सम्बन्धित विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करके कर दिया जाएगा।

कार्यकारिणी बैठक में निणर्य लिया गया कि संस्था की मोटर साईकिल बजाज प्लैटिना संख्या HR02P-1000का उपयोग तत्कालिन सचिव श्री श्याम सुन्दर के कार्यकाल में किया गया है। इस समय कोई भी कर्मचारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है इसलिए गाड़ी का प्रयोग किन कार्यो के लिए किया गया है यह पूर्व

	मिला है। मोटर साईकिल किन परिस्थितियों के कारण प्रयोग में लाना बंद कर दिया गया है लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाऐ। **इस सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र के माध्यम से पत्र मिलने की तिथि के एक महीने में रिर्पोट भेजने की मांग की गई है।**	सचिव ही स्पष्ट कर सकते हैं इसलिए निणर्य लिया गया कि उनको ही एक पत्र लिखा जाना उचित होगा। जिसकी रिपोर्ट माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
27.	**<u>Old outstanding objection in respect of Secretary, Distt. Red Cross Society, Yamuna Nagar for the period 4/2005 to 3/2010</u>** • हैरिस परियोजना की राशि कम वसूल करना 11.37 लाख रूप्ये (**Reply of Department**) **हैरिस परियोजना से राशि कम प्राप्त होने बारे 11.37 लाख रूप्ये के सम्बन्ध में जिला सूचना अधिकारी, यमुनानगर को लिखा गया था। उनके पत्र क्रमांक 203/डी. आई.टी.एस. दिनांक 16.12.2008 द्वारा सूचित किया गया है कि जो राशि आपको दी गई है वह ठीक है। उक्त पत्र की फोटोप्रति साथ सलंग्न है।** • **विभिन्न युनिटों /कार्यालयों/कर्मचारियों को दी गई ऋण राशि वापिस न लेना रूप्ये 11.94लाख + 0.32लाख = 12.26लाख** (**Reply of Department**) **इस सम्बन्ध में जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर कार्यकारीणी की बैठक दिनांक 15.10.2008 को सम्पन्न की गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि लोन राशि जिसका वर्णन उपरोक्त किया गया है, यह जिला रेड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर द्वारा जनहित एवं कल्याणार्थ हेतु संचालित प्रोजैक्ट है जिनकी अनुदान राशि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से प्राप्त होती है परंतु सरकार द्वारा अनुदान राशि प्राप्त न होने के कारण कार्यकारीणी की बैठक अनुसार सम्बन्धित प्रोजैक्टों को दिया गया ऋण को दान मानते हुए माफ कर दिया गया है। कर्मचारियों को दिए गये**	**<u>Orders of Sr.DAG(SS)</u>** **प्रति सलंग्न नहीं है पैरा लम्बित (निबटान बारे लेखाकार को पत्र जारी किया जा चुका है)** .... बैठक में यह निणर्य लिया गया कि जवाब देही हेतु श्री प्रवीण कुमार, लेखाकार का जवाब प्राप्त न होने के कारण पुनः आदेश जारी किए जाऐं कि वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक महीने के अंन्दर–अन्दर पैरे का निपटान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा लापरवाही एवं विलम्ब करने की सूरत में अन्यथा विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। **<u>Orders of Sr.DAG(SS)</u>** **कर्मचारियों से ऋण वापिस वसूल करके लेखा परिक्षा को अवगत करवाया जाए। पैरा लम्बित।** .... बैठक में यह निणर्य लिया गया कि जवाब देही हेतु श्री प्रवीण कुमार, लेखाकार का जवाब प्राप्त न होने के कारण पुनः आदेश जारी किए जाऐं कि वह अपनी जिम्मेदारी

	ऋण 32500/—रूपये के सम्बन्ध में रिक्वरी हेतु निर्देश जारी कर दिए गये हैं। शीघ्र ही रिक्वरी उपरांत सूचित कर दिया जाएगा।	समझते हुए एक महीने के अंन्दर–अन्दर पैरे का निपटान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा लापरवाही एवं विलम्ब करने की सूरत में अन्यथा विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
	• ई–दिशा प्रोजैक्ट से रेड क्रॉस का हिस्सा कम प्राप्त होना रूप्ये 2.01लाख रूपये **(Reply of Department)** ई–दिशा परियोजना से राशि कम प्राप्त होने बारे मु0 रूपये 2.01 लाख के सम्बन्ध में जिला सूचना अधिकारी, यमुनानगर को लिखा गया था। उनके पत्र क्रमांक 203/डी.आई.टी.एस. दिनांक16.12.2008 द्वारा सूचित किया गया है कि जो राशि आपको दी गई है वह ठीक है, उक्त पत्र की फोटोप्रति साथ सलंग्न है।	**Orders of Sr.DAG(SS)** विभागीय उत्तर के साथ पैरे का पूर्ण विवरण दिया जाए। पत्र की प्रति सलंग्न नहीं है। रेड क्रॉस का प्राप्त राशि बारे क्या विचार है अवगत करवाया जाऐ। पैरा लम्बित। .... बैठक में यह निणर्य लिया गया कि जवाब देही हेतु श्री प्रवीण कुमार, लेखाकार का जवाब प्राप्त न होने के कारण पुनः आदेश जारी किए जाऐं कि वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक महीने के अंन्दर–अन्दर पैरे का निपटान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा लापरवाही एवं विलम्ब करने की सूरत में अन्यथा विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
	• रेड क्रॉस की 6 एकड़ जमीन का उपयोग न करना **(Reply of Department)** जिला नगर योजनाकार, यमुनानगर को हिदायत दी गई है कि वे इस जमीन के उचित प्रयोग हेतु ड्राईगं तैयार करें। इस बात का भी ध्यान रखा जाऐ कि इस जमीन पर कमर्शिल एरीया भी तैयार किया जाएगा ताकि संस्था को नियमित आय भी होती रहे जिस आय से संस्था अपने प्रोजैक्ट भी चलाती रहे। प्रस्तावित है कि जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर से सम्बन्धित पैरों का	रेड क्रॉस की 6 एकड़ भूमि पर चारदीवारी की कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जानी है तथा जनकल्याणकारी प्रोजैक्ट घोर मंथन उपरांत प्रस्तावित किए जाऐगें । बैठक में निर्णय लिया गया कि चारदिवारी करवाने के उपरांत

	निबटान लेखा परीक्षा अवधी 4/2005 से 3/2010 तथा लेखा परीक्षा अवधी 4/2010 से 3/2015 तक का निबटान करना लेखाकार की पूर्ण जिम्मेवारी बनती है। इस सम्बन्ध में सभी दस्तावेज/पत्राचार इत्यादि एवं पूर्व में की गई कार्यवाही लेखाकार से सम्बन्धित है। अतः प्रस्तावित किया जाता है कि लेखाकार जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर से सम्बन्धित सभी आब्जैक्शन का निबटान पर कार्यवाही करते हुए एक महीने के अंदर–अंदर करना सुनिश्चित करेगा और सम्बन्धित दस्तावेज एवं रिपोर्ट माननीय उपायुक्त एवं प्रधान महोदय के समक्ष प्रस्तुत करके आवश्यक निर्देशानुसार पैरों का निबटान किया जाएगा। **अन्य आब्जैक्शन जिनमें अनियमितताऐं पाई गई हैं जिनका वर्णन उपरोक्त दर्शाया गया है, इस संदर्भ में उपायुक्त एंव प्रधान, जिला रेड क्रॉस समिति, यमुनानगर एंव कार्यकारिणी बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।**	आगामी बैठक में एक सब कमेटी बनाकर भूमि के उपयोग हेतु घोर मंथन करके विचार किया जाएगा।

अन्य बिन्दुः–

I. <u>रेड क्रॉस वाहन टाटा सफारी–एच.आर.02पी–2222 को कंडम करवाने तथा एक नया वाहन खरीदने बारेः–</u>

जिला रेड क्रॉस सोसायटी, यमुनानगर की टाटा सफारी गाड़ी एच.आर.02पी–2222 जो मार्च 2007 में खरीद की गई थी यह गाड़ी अब तक 2,39,633 किलोमीटर चल चुकी है। इस गाड़ी के रख–रखाव पर वर्तमान में काफी खर्च हो रहा है जिसके भविष्य में और अधिक बढ़ जाने की संभावना है। नियमानुसार यह गाड़ी निर्धारित 1,80,000 किलोमीटर से अधिक चल चुकी है तथा इस वाहन को खरीदे हुए पांच वर्ष से अधिक का समय भी हो चुका है। इसलिए इसे कंडम करवाया जाना उचित होगा। इस पर अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई कि नई गाड़ी खरीद की जाऐ ताकि संस्था की गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से जारी रखा जा सके।

II. <u>पांच एम्बुलैंस गाड़ियों को सिविल सर्जन, यमुनानगर को देने बारेः–</u>

सिविल सर्जन, यमुनानगर द्वारा चलाई जा रही रैफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम 102 के लिए 5 एम्बुलैंस गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई। जिसका विधिवत उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था। यह एम्बुलैंस गाडियां इण्डियन मैडिकल एसोसिएशन, कृष्ण कृपा सेवा समिति, प्लाईवुड एसोसिएशन, हरियाणा इंजिनिरिंग कालेज जगाधरी एवं श्री भारत शर्मा सपुत्र श्री हीरा लाल शर्मा द्वारा प्रदान की गई। यह एम्बुलैंस गाडियां श्री प्रेम चन्द, उपमण्डल अधिकारी(ना0)जगाधरी एवं सुश्री मनीषा खन्ना, जिला बाल कल्याण अधिकारी, यमुनानगर के विशेष सहयोग से प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा तथा उपस्थित रेडक्रास कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा उपरोक्त अधिकारी एवं समाजसेवी लोगों का हार्दिक रूप से धन्यवाद किया तथा इनका आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद पत्र उपायुक्त एवं प्रधान महोदय की ओर से भिजवाने बारे सुझाव दिया।

III. **Distt.Welfare Fund के नाम से खाता खोलने बारेः–**

बैठक में कार्यकारीणी सदस्य श्री सतीश सलूजा द्वारा सुझाव दिया कि उपायुक्त महोदय के समक्ष आने वाले ऐसे प्रार्थीगण जिनको रेड क्रॉस से मदद करने का प्रावधान नहीं है और वे जरूरतमंद प्रतीत होते हैं, उनकी मदद के लिए एक अलग से Distt.Welfare Fund के नाम से बैंक में खाता खोला जाए और एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में उपमण्डल अधिकारी (ना0)जगाधरी, डॉ.बी.एस.गाबा, गाबा हस्पताल, जगाधरी तथा श्री सतीश सलुजा, एम.डी., ओरीएन्टल इन्डस्ट्री, इन्डस्ट्रीयल एरीया, यमुनानगर शामिल होंगे। खाते का संचालन श्री सतीश सलूजा एवं डॉ0 बी.एस.गाबा द्वारा सयुंक्त रूप से किया जाएगा। इस खाते हेतु फंड एकत्रित करने के लिए रेड क्रॉस कार्यकारिणी के सभी सदस्य अपना सहयोग देगें तथा धन एकत्रित करवाने के लिए जिले के अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा समाजसेवी संस्थाओं से भी दानराशि एकत्रित करने में सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

IV. **रेड क्रॉस कार्यकारिणी सदस्यों को रेड क्रॉस के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने बारेः–**

बैठक में कार्यकारिणी सदस्य डा0बी.एस.गाबा द्वारा सुझाव दिया गया कि पूर्व की भांति कार्यकारिणी सदस्यों को रेड क्रास की भिन्न–भिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाए ताकि रेड क्रास की नवीनतम गतिविधियों की उन्हें जानकारी रहे एवं गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि रेड क्रास समिति,यमुनानगर द्वारा समय–समय पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में रेड क्रास कार्यकारिणी सदस्यों को भी अतिथि के रूप में बुलाया जाए और यह भी कहा गया कि कार्यकारिणी बैठक समय–समय पर करवाई जानी चाहिए ताकि रेड क्रॉस द्वारा किए गये कार्यक्रमों की जानकारी रेडक्रॉस कार्यकारिणी सदस्यों को दी जा सके।

V. **संस्था की एफ.डी. करवाने बारेः–**

बैठक में विशेष रूप से आमन्त्रित डा0शालीन, भा0प्र0से0, अतिरिक्त उपायुक्त, यमुनानगर ने संस्था की वित्तिय स्थिति का संज्ञान लेते हुए संस्था की एफ0डी0बारे पुछा और कहा कि संस्था की एफ0डी0 पूर्ण होने पर अधिकतम ब्याज दर पर एफ.डी. करवाई जाऐ और इसके लिए भिन्न–भिन्न बैंकों से उनके ब्याज बारे कुटेशनें आमंत्रित की जाऐं। इस पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति जताई।

VI. **दो तिपहिया साईकिल प्रदान करने बारेः–**

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी सदस्य श्री सुशील अग्रवाल द्वारा दो तिपहिया साईकिल देने बारे अपनी सहमति जताई । इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रकार के कार्यो के लिए चैम्बर आफ कामर्स के साथ मिलकर कैम्प लगाऐं। कार्यकारिणी सदस्य श्री सतीश सलूजा ने इस कार्य हेतु अपना सहयोग देने बारे सहमति जताई।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

––हस्ता––

उपायुक्त एवं प्रधान,
जिला रेड क्रास समिति,
यमुनानगर ।

क्रमांकः– **दिनांकः–**

इसकी एक प्रति सभी उपस्थित अधिकारियों एवं सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित है।

सचिव
जिला रेड क्रास समिति,
यमुनानगर ।